राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर कुशलगढ़ जिला बाँसवाड़ा (राज.)

फोन न0- 02965-275241 ई-मेल- sdmkushalgarh@gmail.com
SDO.KUSHALGARH@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ ( ) रीडर/2025/232 दिनांक :-30/10/2025

निमित्त :-
तहसीलदार,
तहसील-कुशलगढ़

विषय :- प्रकरण संख्या 04/2019 जीवा/हिरा बनाम लीला/लालजी में पारित आदेश की पालना अनुसार बंटवारा कमिश्नर रिपोर्ट पेश करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 04/2019 जीवा/हिरा बनाम लीला/लालजी दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 रा.टि.एक्ट 1955 में जारी प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय इस पत्र के सलंग्न भेजी जा रही है। तद्नुसार मौका एवं रिकार्ड अनुसार फर्द बंटवारा कमिश्नरी रिपोर्ट 07 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवना सुनिश्चित करें। ताकि उक्त 06 वर्ष से अधिक लम्बित प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।

संलग्न :- प्रारम्भिक डिक्री।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़,
जिला-बाँसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रारम्भिक डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

ओ020रूल 6–7 जाब्ता दिवानी

अदालत : उपखण्ड अधिकारी **मुकाम – कुशलगढ़ इजलास :**
राकेश कुमार न्योल (आर0ए0एस0)

1. श्री जीवा पिता हिरा जाति भील आयु लगभग 55 निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री पुंजा पिता हिरा जाति आयु लगभग 49 वयस्क निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लीलां पुत्री लालजी (पत्नी महेश) जाति भील निवासी राजापुरा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
2. श्रीमती लिम्बा पुत्री लालजी (पत्नी पप्पु) जाति भील निवासी भोराज तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
3. श्री भुरजी पिता हुकला जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. श्री गौतम पिता हुकला जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
5. श्री राजु पिता मड़ीया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6. श्रीमती लक्ष्मी बेवा मड़ीया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
7. श्रीमती गुड्डी पुत्री मड़ीया (पत्नी कालु) जाति भील निवासी कदवाली छोटी तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
8. श्री दुबलिया पिता कालिया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
9. श्री राजु पिता खेमा जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
10. श्रीमती एतरी पत्नी लालचन्द जाति भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
11. श्री टिटा पिता धुलिया जाति भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
12. श्री जवरिया (माता धापु) पिता मानजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
13. श्री मड़ीया (माता धापु) पिता मानजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
14. श्री वागु पिता जीवणा जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
15. श्री गवजी पिता दलजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
16. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय, बैक ऑफ बड़ोदा शाखा छोटी सरवा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
17. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
18. श्री भुमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
19. श्री जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 91, 53, 209 रा.टि.एक्ट 1955

प्रकरण सं0 04/2019
ऑनलाईन प्र.सं.– **2019/00004**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है/प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है कि–

राजस्व ग्राम महुड़ा तहसील कुशलगढ़ में स्थित कृषि भूमि मूल सर्वे नम्बर 145, 157, 176, 194, 197, 195, 200, 201, 224, 328/95 कुल खेत 10 कुल रकबा 19.25 एकड़ (7.7901 हेक्टेयर) लगान 12.73 संवत 2047 से 2050 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को शेष भूमि में से क्रमशः जीवा पिता हिरा का हिस्सा 1/8, पुंजा पिता हिरा का हिस्सा 1/8 में से बेचान रकबा 0.90 एकड़ (खसरा संख्या 176 रकबा 0.7284 हेक्टेयर में से 0.3642 हेक्टेयर) कम किया जाकर 1.5 एकड (0.6070 हेक्टेयर), लीलां पुत्री लालजी का हिस्सा 1/24, लिम्बा पुत्री लालजी का हिस्सा 1/24, भुरजी पिता हुकला का हिस्सा 1/12, गौतम पिता हुकला का हिस्सा 1/12, राजू पिता मडीया, लक्ष्मी बेवा मड़ीया व गुड्डी पुत्री मडीया प्रत्येक का हिस्सा 1/12 में से (खसरा संख्या 157/2 रकबा 0.3076 हेक्टेयर बेचान को) कम किया जाकर राजू पिता मडीया, लक्ष्मी बेवा मड़ीया व गुड्डी पुत्री मडीया का हिस्सा प्रत्येक का 0.5465 हैक्ट., दुबलिया पुत्र कालिया का हिस्सा 1/4 (1.9465 हैक्टेयर) में से बेचान रकबा 3.14 एकड़ (1.2706 हैक्टेयर) कम किया जाकर 1.6701 एकड़ (0.6759 हैक्टेयर) हिस्सा। उक्त हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं भूमि की किस्म/रेकार्ड के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्त बटवारा एवं नक्षा ट्रेस तीन–तीन प्रतों में पेश करेंगे। खाते में खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

Scanned with CamScanner

मिज......मुलालिग ....बात........खर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह......फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक.....बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 30/10/2025 को जारी की गई।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

मुदई	रूपया	पैसा	मुदायलाल	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सवूत			महनताना		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक मिजान मुतफख्यिख		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़, जिला बॉसवाडा

पीठासीन अधिकारी – राकेश कुमार न्योल (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 04/2019 **दायर दिनांकः– 21.01..2019**

प्रकरण ऑनलाईन संख्या– 2019/00004 **निर्णय दिनांकः– 30.10.2025**

1. श्री जीवा पिता हिरा जाति भील आयु लगभग 55 निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री पुंजा पिता हिरा जाति आयु लगभग 49 वयस्क निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लीलां पुत्री लालजी (पत्नी महेश) जाति भील निवासी राजपुरा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
2. श्रीमती लिम्बा पुत्री लालजी (पत्नी पप्पु) जाति भील निवासी भोराज तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
3. श्री भुरजी पिता हुकला जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. श्री गौतम पिता हुकला जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
5. श्री राजु पिता मड़ीया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6. श्रीमती लक्ष्मी बेवा मड़ीया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
7. श्रीमती गुड्डी पुत्री मड़ीया (पत्नी कालु) जाति भील निवासी कदवाली छोटी तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
8. श्री दुबलिया पिता कालिया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
9. श्री राजु पिता खेमा जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
10. श्रीमती एतरी पत्नी लालचन्द जाति भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
11. श्री टिटा पिता धुलिया जाति भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
12. श्री जवरिया (माता धापु) पिता मानजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
13. श्री मड़ीया (माता धापु) पिता मानजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
14. श्री वागु पिता जीवणा जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
15. श्री गवजी पिता दलजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
16. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय, बैक ऑफ बड़ोदा शाखा छोटी सरवा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
17. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
18. श्री भुमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
19. श्री जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 रा0टि0एक्ट 1955

निर्णय

वादीगण ने विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88, 91, 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 का सजरा खानदान निम्न प्रकार से हैं:–

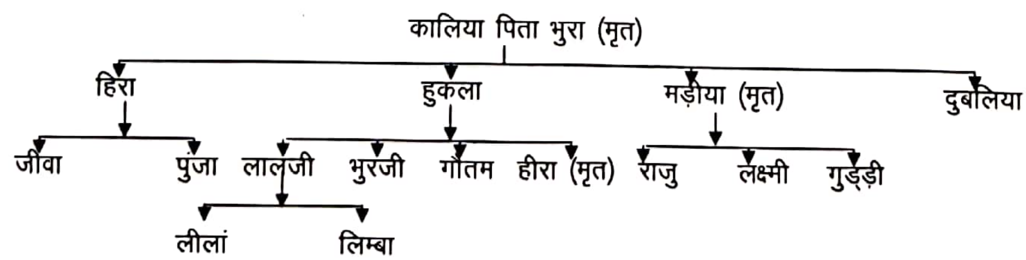

उरोक्त वर्णित सजरा खानदान के अनुसार गांव मुहड़ा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.) में स्थित कृषि भूमि खेत आराजी नम्बर 145, 157, 176, 194, 195, 197, 200, 201, 224, 328/95 कुल खेत रकबा 19.25 एकड़ लगान 12.73 संवत् 2047 से 2050 की जमाबंदी के अनुसार वादीगण के पिता हिरा के 1/4 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के दादा व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता हुकला 1/4 हिस्से, प्रतिवादी संख्या 5 व 7 के पिता एवं

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 6 के पति मड़ीया के 1/4 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 8 के 1/4 हिस्से की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की होकर इसी हिस्से अनुसार वर्तमान मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहें एवं अपने-अपने हिस्सों पर काबिज हैं जिसे सारा गांव जानता हैं। उक्त खेतों में वादीगण उनके 1/4 हिस्से रकबा 4.81 एकड़ की भूमि पर काबिज होकर हर वर्ष फसल प्राप्त कर रहा हैं। वर्ष 2017 के आषाढ़ माह से प्रतिवादी संख्या 1 से 15 एकमत होकर वादीगण के उनके उक्त खेतों में 1/4 हिस्से की भूमि पर अनुचित हस्तक्षेप करते हुए वादीगण को उनके 1/4 हिस्से रकबा 4.81 की भूमि पर भविष्य में शान्तिपूर्ण काश्त नहीं करने की धमकी देते हुवे उन्होंने वादीगण से काहा कि उन्होंने उक्त खेतो का विभाजन करवा दिया है जिससे वादीगण के हिस्से में कम भूमि आई है इसलिए वे अब वादीगण के हिस्से रकबा 1/4 सम्पूर्ण हिस्से पर काश्त नहीं करने देगे। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त खेतो का विभाजन करवा लेने का कहने पर वादीगण ने रेकार्ड से नकले ली तो उन्हे जानकारी में आया की प्रतिवदी संख्या 1 से 4 के पूर्वज हुकला एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 7 ने तथा प्रतिवादी संख्या 8 ने चोरी छिपे राजस्व कर्मचारियों से मिलकर वंशावली के विपरित एवं मौके की स्थिति के विपरित मनमाना बांला-बांला विभाजन करवा कर विभाजन नम्बरान् को जरिये नामान्तरण संख्या 177 से बंटवारा राजस्व अभिलेख में अमल-दरामद करवा लिया हैं एवं खेत आराजी नम्बर 145/3, 157/3, 195, 200/3, 201, 328/95 कुल खेत 6 कुल रकबा 5.13 एकड़ के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 से2 के पिता लालजी ने एवं प्रतिवादी संख्या 3 से 4 ने उसके नाम से एवं खेत आराजी नम्बर 145/1, 157/1, 194, 197, 200/1 224/1 कुल खेत 6 कुल रकबा 6.10 एकड़ प्रतिवादी संख्या 8 ने उसके नाम से तथा खेत आराजी नम्बर 145/4, 157/2, 200/2, 224/2 कुल खेत 4 कुल रकबा 4.82 एकड़ के रूप में प्रतिवादी संख्या 5 से 7 ने उनके नाम से तथा खेत आराजी नम्बर 145/2, 176, 224/2 कुल खेत 3 कुल रकबा 3.20 एकड़ को वादीगण के नाम से दर्ज रेकार्ड करवा दिये है। उक्त खेतो के बटवारे की कार्यवाही वादीगण की अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर गैरकानूनी तोर पर कर दी हैं। उक्त खेतों के विभाजन वादीगण की जानकारी के बिना ही उसके बिना सहमती व बिना जानकरी के एवं वंशावली के वितरित एवं विभाजन के बनाये गये नियमों के खिलाफ किया गया होकर वह प्रारम्भ से ही शून्य होकर काबिल खारजी के हैं। वादीगण ने उक्त खेतो के बटवारा कार्यवाही में वादीगण ने कहीं पर भी अपने अगुठा या हस्ताक्षर नहीं किये है फिर भी उक्त खेतो की बटवारा कार्यवाही गैर कानूनी रूप से बिना मौके पर गये कर दी गई एवं उक्त खेतों के विभाजन के पश्चात् बिना कब्जे के ही चोरी छिपे राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके प्रवितादी संख्या 08 ने खेत आराजी नम्बर 157/1 रकबा 0.76 को प्रतिवादी संख्या 11 को एवं खेत आराजी नम्बर 20/1 रकबा 2.66 में से रकबा 0.80 (जिसका वर्तमान आराजी नम्बर 344/200) को प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की माता श्रीमती धापु (मृत) पत्नी मानजी को एवं खेत आराजी नम्बर 200/2 रकबा 1.86 एकड़ में से रकबा 0.50 एकड़ प्रतिवादी संख्या 09 को एवं खेत आराजी नम्बर 224/1 रकबा 1.08 एकड़ में से रकबा 0.60 एकड़ को प्रतिवादी संख्या 10 को बैचान कर दिया एवं उन्होंने उनके नाम क्रमशः जरिये नामान्तरण संख्या 195, 206, 316 एवं 322 के द्वारा बिना कब्जे के ही राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करवा दिये हैं। उक्त बटवारा एवं बेचान बाबत् सारी कार्यवाही प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होकर वादीगण के प्राप्त हकों पर अप्रभावकारी होकर वादीगण इससे बाध्य नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता लालजी ने एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने एवं मृतक हीरां ने तथा प्रतिवादी 11 ने चोरी छिपे बिना कब्जे के ही धोखा एवं मुगालता पूर्वक उक्त खेतों को क्रमशः प्रतिवादी संख्या 16 एवं 17 के यहां रहन रखकर खाते में जरिये नामान्तरण के रहन का इन्द्राज करवा लिया है जो अवैध एवं अनाधिकृत होकर वादीगण पर बन्धनकारी नहीं है। उक्त खेतों वादीगण उनके 1/4 हिस्से रकबा 4.81 एकड़ का एकमात्र मालिक एवं काबिज काश्तकार वादीगण हैं। जिससे यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण वास्ते घोषणा सहखातेदारी, इन्द्राज दुरस्ती एवं विभाजन जोत प्रस्तुत है। उक्त खेतों का विभाजन मनमाना फर्जी रूप से किया गया हैं जबकि उक्त भूमि पर वादीगण अपने 1/4 हिस्से अर्थात् 4.81 एकड़ पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। यदि वादीगण को उनके 1/4 हिस्से रकबा 4.81 एकड़ का सहखातेदार घोषित कर अधीनस्थ बंटवारा निरस्त नहीं गया एवं समान अनुपात में वंशावली के मुताबिक विभाजन कर खाते अलग-अलग कायम नहीं किये गये तो वादीगण को असहाय हानी होगी जिसका आंकलन किसी भी प्रकार से कीमत एवं आंकड़ों में होना संभव नहीं होगा। प्रतिवादी संख्या 8 का उक्त खेतों में 1/4 हिस्सा अर्थात् रकबा 4.81 एकड़ बनता है जिस में से उसने प्रतिवादी संख्या 13 व 14 की माता धापु को रकबा 0.80 एकड़ भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 09 को रकबा 0.50 एकड़ भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 10 को रकबा 0.60 एकड़ भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 11 को रकबा 0.76 एकड़ भूमि अर्थात् कुल रकबा 2.66 एकड़ भूमि का बैचान कर दिया हैं जिससे वक्त बटवारा प्रतिवादी संख्या 8 के द्वारा उक्त बेचान किया गया कुल रकबा 2.66 एकड़ को उसके हिस्से की भूमि रकबा 4.81 एकड़ में आंकी जाकर उसके हिस्से की भूमि हिस्सा 1/4 जिसका रकबा 4.81 एकड़ में से काटी जाकर प्रतिवादी संख्या 08 को विभाजन में रकबा 2.15 एकड़ भूमि मात्र ही प्रदान किया जाना अति-आवश्यक है। वादपत्र चरण संख्या दो में वर्णित खेतो के वादीगण के 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के 1/4 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 के 1/4 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे उक्त हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के मध्य जरिये कमिश्नर विभाजन किया जावें। विकल्प में निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने उसके हिस्से 1/4 अर्थात् 4.81 एकड़ में से प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की माता धापु को रकबा 0.80 एकड़ भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 09 को रकबा 0.50 एकड़ भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 10 को 0.60 एकड़ भूमि एवं प्रतिवादी 11 को रकबा 0.76 एकड़ भूमि अर्थात् कुल रकबा 2.66 एकड़ भूमि का बैचान कर दिया है जिससे वक्त बटवारा प्रतिवादी संख्या 8 के द्वारा उक्त अनुसार बेचान किया गया कुल रकबा 2.66 एकड़ का उसके हिस्सा रकबा 4.81 एकड़ में आंकी जाकर उसके हिस्से की भमि हिस्सा 1/4 जिसका रकबा 4.81 में से काटी जाकर प्रतिवादी संख्या 8 को विभाजन में रकबा 2.15 एकड़ भूमि मात्र ही प्रदान किया जानें की डिक्री बहक वादीगण प्रदान की जावें।

Scanned with CamScanner

प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी की ओर से ग्राम महुड़ा की नकल जमाबन्दी सं. 2047–2050 प्रस्तुत की। प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई।

प्रकरण को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 दिनांक 16.11.2021 में रखे जाने हेतु पक्षकारान् को सूचना पत्र जारी किया गया। पक्षकारान् लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर शिविर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 तक उपस्थित हुए। प्रशासन गांवों के संग अभियान में पक्षकारान् को सुना गया एवं उनके बयान दर्ज किये गये। वादी संख्या 01 ने अपने बयान में बताया कि वादग्रस्त भूमि अपने दादा (कालिया पिता भुरा) के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त का भूमि प्रार्थी के दादा के चारों पुत्रों हिरा, हुकला, मड़िया एवं दुबलिया में विभाजन कर 1/4, 1/4 हिस्सों में कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वादी संख्या 02 ने अपने बयान में बताया कि वादग्रस्त भूमि अपने दादा (कालिया पिता भुरा) के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त का भूमि प्रार्थी के दादा के चारों पुत्रों हिरा, हुकला, मड़िया एवं दुबलिया में विभाजन कर 1/4, 1/4 हिस्सों में कर दिया जावे एवं मेरे द्वारा बेचान की गई भूमि मेरे हिस्से से कम कर दी जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 से 07 ने अपने बयानों में बताया कि वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर 1/4, 1/4 हिस्सों में कर दिया जावे तो हमें कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 08 ने अपने बयान में बताया कि वादग्रस्त भूमि अपने पिता (कालिया पिता भुरा) के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त का भूमि प्रार्थी के पिता के चारों पुत्रों हिरा, हुकला, मड़िया एवं दुबलिया में विभाजन कर 1/4, 1/4 हिस्सों में कर दिया जावे एवं मेरे द्वारा बेचान की गई भूमि मेरे हिस्से से कम कर दी जाये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बयान उपरान्त पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत भूमि का पूर्व में बंटवारा होने से तहसीलदार कुशलगढ़ से तथ्यात्मक रिपोर्ट रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 पूर्व में किये गये बंटवारे को निरस्त कर पुनः बटवारा चाहता है। तहसीलदार की रिपोर्ट के संदर्भ में पुनः वादीगण एवं प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के उपस्थित होकर पुनः बंटवारा करने एवं वादी संख्या 01 व 02 एवं प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07 व 08 द्वारा रजिस्ट्री द्वारा बेचान रकबा को कम किया जाकर उनके हिस्से जमीन दी जाने पर सहमति प्रदान की गई।

पत्रावली एवं वर्तमान खसरा संख्यान के अवलोकन के दौरान यह ध्यान में आया कि प्रतिवादी संख्या 8 ने अपने हिस्से की निम्नांकित जमीनें बेच दी गई जो इस प्रकार है:–

खसरा संख्या	रकबा एकड़	रकबा हेक्टेयर	बेचान			उक्त खसरों की बेचान से शेष भूमि		वि.वि.
			खसरा	रकबा हेक्टेयर	रकबा एकड़	खसरा	रकबा हेक्टेयर	
157	2.28	0.9228	157/1	0.3076	0.76	157/3	0.3076	प्र.सं. 11 को बेचान
200	8.00	3.2375	351/200	0.2023	0.50	200/3	1.0765	प्र.सं. 09 को बेचान
			344/200	0.3237	0.80	200/1	0.5504	प्र.सं. 12 व 13 को बेचान
						200/2	1.0846	
224	3.26	1.3193	224/1	0.1942	0.48	224/3	0.4371	प्र.सं. 10 को बेचान
			352/224	0.2428	0.60	224/2	0.4452	प्र.सं. 10 को बेचान
total	**13.54**	**5.4796**	**5**	**1.2706**	**3.14**	**6**	**3.9014**	

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज, रेकार्ड, बयान वादीगण एवं प्रतिवादीगण से यह स्पष्ट होता है कि जीवा पिता हिरा का हिस्सा 1/8, पुंजा पिता हिरा का हिस्सा 1/8 में से बेचान रकबा 0.90 एकड़ **(खसरा संख्या 176 रकबा 0.7284 हेक्टेयर में से 0.3642 हेक्टेयर)** कम किया जाकर 1.5 एकड (0.6070 हेक्टेयर), लीलां पुत्री लालजी का हिस्सा 1/24, लिम्बा पुत्री लालजी का हिस्सा 1/24, भुरजी पिता हुकला का हिस्सा 1/12, गौतम पिता हुकला का हिस्सा 1/12, राजू पिता मडीया, लक्ष्मी बेवा मड़ीया व गुड्डी पुत्री मडीया प्रत्येक का हिस्सा 1/12 में से **(खसरा संख्या 157/2 रकबा 0.3076 हेक्टेयर राजु पिता धुलिया को बेचान कर)** कम किया जाकर राजू पिता मडीया, लक्ष्मी बेवा मड़ीया व गुड्डी पुत्री मडीया का हिस्सा प्रत्येक का 0.5465 हैक्ट. तथा दुबलिया पुत्र कालिया का हिस्सा 1/4 (1.9465 हैक्टेयर) में से बेचान रकबा 3.14 एकड़ (1.2706 हैक्टेयर) कम किया जाकर 1.6701 एकड़ (0.6759 हैक्टेयर) हिस्सा किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन उपरान्त राजस्व ग्राम महुड़ा तहसील कुशलगढ़ में स्थित कृषि भूमि मूल सर्वे नम्बर 145, 157, 176, 194, 197, 195, 200, 201, 224, 328/95 कुल खेत 10 कुल रकबा 19.25 एकड़ (7.7901 हेक्टेयर)

Scanned with CamScanner

लगान 12.73 संवत 2047 से 2050 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को शेष भूमि में से क्रमशः जीवा पिता हिरा का हिस्सा 1/8, पुंजा पिता हिरा का हिस्सा 1/8 में से बेचान रकबा 0.90 एकड़ **(खसरा संख्या 176 रकबा 0.7284 हेक्टेयर में से 0.3642 हेक्टेयर)** कम किया जाकर 1.5 एकड (0.6070 हेक्टेयर), लीलां पुत्री लालजी का हिस्सा 1/24, लिम्बा पुत्री लालजी का हिस्सा 1/24, भुरजी पिता हुकला का हिस्सा 1/12, गौतम पिता हुकला का हिस्सा 1/12, राजू पिता मडीया, लक्ष्मी बेवा मड़ीया व गुड्डी पुत्री मडीया प्रत्येक का हिस्सा 1/12 में से **(खसरा संख्या 157/2 रकबा 0.3076 हेक्टेयर राजु पिता धुलिया को बेचान कर)** कम किया जाकर राजू पिता मडीया, लक्ष्मी बेवा मड़ीया व गुड्डी पुत्री मडीया का हिस्सा प्रत्येक का 0.5465 हैक्ट., दुबलिया पुत्र कालिया का हिस्सा 1/4 (1.9465 हैक्टेयर) में से बेचान रकबा 3.14 एकड़ (1.2706 हैक्टेयर) कम किया जाकर 1.6701 एकड़ (0.6759 हैक्टेयर) हिस्सा किया जाकर हिस्सा अनुसार बॅटवारा कर खाते पृथक किए जाने के आदेश दिए जाते है। तदनुसार डिक्री जारी तहरीर हो। तहसीलदार कुशलगढ को कमिश्नर घोषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार खातों का बॅटवारा कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्त बॅटवारा एवं नक्शा ट्रेस तीन तीन प्रतियों में पेश हो। खाते में खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। तदनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अंतिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

ओ020रूल 6–7 जाब्ता दिवानी

अदालत : उपखण्ड अधिकारी
इजलास राकेश कुमार न्योल
आर.ए.एस.

मुकाम – कुशलगढ़

1. श्री जीवा पिता हिरा जाति भील आयु लगभग 55 निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. श्री पुंजा पिता हिरा जाति आयु लगभग 49 वयस्क निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती लीलां पुत्री लालजी (पत्नी महेश) जाति भील निवासी राजापुरा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
2. श्रीमती लिम्बा पुत्री लालजी (पत्नी पप्पु) जाति भील निवासी भोराज तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
3. श्री भुरजी पिता हुकला जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
4. श्री गौतम पिता हुकला जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
5. श्री राजु पिता मड़ीया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
6. श्रीमती लक्ष्मी बेवा मड़ीया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
7. श्रीमती गुड्डी पुत्री मड़ीया (पत्नी कालु) जाति भील निवासी कदवाली छोटी तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
8. श्री दुबलिया पिता कालिया जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
9. श्री राजु पिता खेमा जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
10. श्रीमती एतरी पत्नी लालचन्द जाति भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
11. श्री टिटा पिता धुलिया जाति भील निवासी चोरवड़ तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा।
12. श्री जवरिया (माता धापु) पिता मानजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
13. श्री मड़ीया (माता धापु) पिता मानजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
14. श्री वागु पिता जीवणा जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
15. श्री गवजी पिता दलजी जाति भील निवासी महुड़ा तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
16. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय, बैक ऑफ बड़ोदा शाखा छोटी सरवा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
17. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा कुशलगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
18. श्री भुमिधारी तहसीलदार कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)
19. श्री जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 88, 91, 53, 209 रा.टि.एक्ट 1955

प्रकरण सं. 04/2019
ऑनलाईन प्र.सं.– 2019/00004

भूमिधारी तहसीलदार कुशलगढ से प्राप्त विभाजन फहरिस्त व नक्षा ट्रेस एवं खातेदारों की सहमति के अनुसार यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है/डिक्री जारी की जाती है कि–

ग्राम महुड़ा पटवार मण्डल महुड़ा भू.अ.नि मोहकमपुरा

1– श्री जीवा पिता हिरा हिस्सा 1/2 जाति भील साकिन देह खातेदार
श्री पुंजा पिता हिरा हिस्सा 1/2 जाति भील साकिन देह खातेदार

सर्वे नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
194	0.3642	बेरंगी	0.50
197	0.1619	काली2	0.32
200/4	0.4290	काली2	0.84
200/9	0.1457	मखेड	0.00
145/2	0.1011	काली1	0.26
224/3	0.3885	काली2	0.76
योग –06	1.5904	-	2.68

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

2– श्री गौतम पिता हुकला हिस्सा 1/4 जाति भील साकिन देह खातेदार

Scanned with CamScanner

श्री भुरजी पिता हुकला हिस्सा 1/4 जाति भील
श्री लालजी पुत्र हुकला हिस्सा 1/4 जाति भील
श्रीमती हिरा पत्नि स्व. हुकला हिस्सा 1/4 जाति भील (मृत्यु)

सर्वे नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
200/1	0.3359	बरडी1	0.45
200/3	0.1659	बरडी1	0.22
200/10	0.4815	काली2	0.84
201	0.0243	मकान	0.00
157/1	0.3076	काली1	0.79
145/1	0.1214	काली1	0.31
224/2	0.4938	काली2	0.4210
		बरडी1	0.728
योग –07	1.9304	-	3.06

3– श्रीमती गुड्डी पुत्री मड़ीया हिस्सा 1/3 जाति भील साकिन देह खातेदार
श्री राजु पिता मड़ीया हिस्सा 1/3 जाति भील साकिन देह खातेदार
श्रीमती लक्ष्मी बेवा मड़ीया हिस्सा 1/3 जाति भील साकिन देह खातेदार

सर्वे नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
195	0.2631	बीड	0.05
200/2	0.4493	बरडी1	0.00
		काली2	
200/8	0.3804	काली2	0.75
145/3	0.2630	काली1	0.69
328/95	0.2833	पडत	0.07
योग –05	1.6391	-	2.22

4– श्री दुबलिया पिता कालिया हिस्सा पूर्ण जाति भील साकिन देह खातेदार

सर्वे नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
200/5	0.3238	काली2	0.64
176/1	0.3643	काली2	0.72
योग –02	0.6881	-	1.36

मिज ......मुलालिग ....बात ....खर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह .... फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक..........बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 28.01.2026 को जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

मुदई	रूपया	पैसा	मुद्दायलाल	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सवूत			महनताना		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक मिजान मुतफख्यिख		

नोटः– इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner